



वाणिज्य अ.ज.- 544

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.-II/2013-14/प्रे 448 दिनांक 23-4-14

आदेश

विषय:- ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत।


राज्य सरकार ने इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 28.02.2014 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है; इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

1. लघु एवं सीमान्त कृषकों को, जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह नवम्बर 2013, दिसम्बर 2013, जनवरी 2014 एवं फरवरी 2014 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।
2. जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है, इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।
3. यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की हैं

इस विषय में सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। इस सूची के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाएगी।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (R&C) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (R&C) इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु उर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

Y.P. (1D)
28/3



d./XEN-II/Comml. Order hindi

आज्ञा से,


(वी.एस. भाटी)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

सुनि

Copy to the following for information and necessary action:-

1. The Zonal Chief Engineer (O&M), AVVNL, Jhunjhunu/ Udaipur/ Ajmer.
2. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer
3. The Chief Accounts Officer(Account/Audit/Revenue), AVVNL, Ajmer
4. The Superintending Engineer (O&M), AVVNL, -----with-----
Nos. of _____ spare copies for circulating among field officers.
5. The Superintending Engineer (M&P/Plan/MM/RDPPC), AVVNL,
Ajmer/Udaipur/Jaipur.
- ✓ 6. The Superintending Engineer (IT), AVVNL, Ajmer for uploading the above
circular on website.
7. The Addl.S.P. (Vig), AVVNL, Ajmer.
8. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
9. Shri P.N. Bhandari,IAS (Retd.), jaipur.
10. Sh.D.S. Agrawal, Rudraksh Energy, jaipur.
11. Dr. K.L.Jain, Honorary Secretary,Raj Chamber of Commerce &Industry, Jaipur.
12. Secretary General, Consumer Unity & Trust Society,('CUTS'), Jaipur.
13. Chief Electrical (General) Engineer, O/o the G.M. (North), Jagatpura, Jaipur.
14. Rajasthan Vidhyut Vikas Sansthan,, Vaishali Nagar, Jaipur
15. The Executive Engineer (), AVVNL, -----.
16. The Sr.Accounts Officer (), AVVNL, -----.
17. The Incharge of Legal Section AVVNL, Ajmer.
18. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
19. The TA to MD, AVVNL, Ajmer.
20. The PA to Chairman Discoms Jaipur.
21. The PA to MD, Johhpur Discom, Jodhpur.
22. The PA to Director (Finance / Technical), AVVNL, Ajmer.
23. The PA to Electricity Ombudsman, GOR, Sahakar Marg, Jaipur.


Chief Engineer (Comml.)